

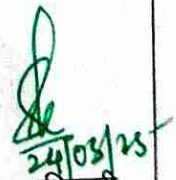


कार्यालय अंचल अधिकारी, सरिया गिरिडीह।

अभिलेख संख्या:- 01/2025

प्रचार्य, उल्क्रमित मध्य विद्यालय चोढीबाद,

अमनारी, प्रखण्ड-सरिया, गिरिडीह।

आदेश की सं० तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी तिथि सहित
10-08-2020	आवेदक श्री मुन्नालाल मंडल के द्वारा RCMS Portal पर दिनांक 10.08.2020 ई०कोर्ट पोर्टल पर दिनांक 10.08.2020 ई० कोर्ट के वाद संख्या-01,02,03,04,05,06 के द्वारा मौजा-अमनारी, खाता संख्या-66, प्लॉट संख्या-932 से संबंधित शिकायत दर्ज किया गया है। उक्त भूमि पर कुछ ग्रामीण के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि से संबंधित शिकायतकर्ता को अंचल कार्यालय सरिया से दिनांक 28.02.2025 को नोटिस निर्गत का अपने पक्ष रखने हेतु दिनांक 07.03.2025 को सूचित किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में शिकायतकर्ता के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 07.03.2025 के अपने पक्ष रखा। जिसमें आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि अंचल कार्यालय में चल रहा ई० कोर्ट वाद संख्या-01,02,03,04,05,06, सभी वाद एक ही मौजा और खाता, प्लॉट से संबंधित है। आवेदक के द्वारा यह भी लिखित रूप में आवेदन समर्पित किया गया है कि ई०कोर्ट के वाद संख्या-02,03,04,05,06 को निरस्त की जाय एवं केवल ई० कोर्ट की वाद संख्या-01 पर अग्रेतर करवाई की जाय। उक्त के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच करवाया गया जाँचोपरांत बताया गया कि ई०कोर्ट वाद संख्या-01,02,03,04,05,06 एक ही खाता, प्लॉट से संबंधित है। अतः ई०कोर्ट वाद संख्या -02,03,04,05,06 को निरस्त किया जा सकता है। अतः आवेदनकर्ता के आवेदन पर एवं राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन पर विचार करते हुए ई०कोर्ट की वाद संख्या-02,03,04,05,06 को निरस्त करते हुए केवल ई० कोर्ट की वाद संख्या-01 पर अग्रेतर करवाई की जाय। अभिलेख उपस्थापित।  अंचल अधिकारी, सरिया  अंचल अधिकारी, सरिया	

वेता में

अपत्य आधिकारी महोदय

अपत्य - चरिया

आपका

विषय: E कोर्ट बाद वरमा 2, 3, 4, 5 एवं 6 को निरस्त करने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

आप लिखा गया। सिद्धान्त कर्ता द्वारा बताया गया कि E कोर्ट बाद वरमा - 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 के द्वारा मौजा- अमनारी के अन्तर्गत खान बं- 66 प्लॉट बं 932 से संबंधित है जो एक ही भूमि से संबंधित है जो लॉर्ड आर्चबिशप-मुन्सिफाट मंडल के द्वारा निरस्त रूप से कार्यलय के ~~अप~~ दिया गया है।

अतः आदेशन कर्ता के आदेशन पर विचार करते हुए E कोर्ट की बाद बं - 02, 03, 04, 05, 06 को निरस्त करते हुए केवल E कोर्ट की बाद बं - 01 पर कारवाई की जा सकती है।

आपका
24/3/25
D.S.T.

पि. वि. वि. वि.
24/03/25
R.S.T.



कार्यालय- अंचल अधिकारी, सरिया, (गिरिडीह)

नोटिस

प्रचार्य,
उत्क्रमित मध्य विद्यालय चोढीबाद,
अमनारी, प्रखण्ड-सरिया, गिरिडीह।

बजरिए नोटिस से सूचित किया जाता है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय चोढीबाद विद्यालय भूमि का वर्ष 2020-21 से अंचल कार्यालय सरिया में भूमि से संबंधित 04 वाद चल रहा है। उक्त के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07/03/2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे। यह नोटिस आज दिनांक- 28/02/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय से जारी किया गया है।

इसे सक्त ताकिद समझे।

अंचल अधिकारी,
सरिया।



मुन्नालाल मोहल
5/3/2025

महोदय,

नोटिस लामिला कर वपास किया।

अनन्तलाल सिंह

6/3/25

2.3, 4, 5, 6 को सेवा में -
मिलने वाले मित्रों को

क्षीमान अंचलाधिकारी महोदय सरिगा

विषय - 1 कोर्ट में वाद संख्या 2, 3, 4, 5, 6 को निरस्त के
संबंध में

महोदय

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि 2020-21

में सरिगा प्रखण्ड के अमनारी पंचायत में 9 गांव
चौंढीवाड़ एक विद्यालय है उस विद्यालय का खाना संख्या
66 प्लोह नं 932 है उस पर कुदलौग अतिक्रमण किया
है जिसका अंचल में वाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, चल रहा
है जो सभी वाद एक ही है महोदय निवेदन होगा कि
वाद संख्या 2, 3, 4, 5, 6, को निरस्त करने हुवे वाद संख्या
पर कार्रवाई करते हुवे उस जमीन का दान-विन किया
जाय

अतः क्षीमान से अग्रह होगा कि इस
जमीन उचित आंच करते हुवे कार्रवाई किया जाय

आपका विश्वासी

मुन्नालाल मेडल

प्रधान सहायक अध्यापक

उप प्रा. वि. चौंढीवाड़

7/3/2025

सोचामें -
 R/S
 लक्ष्मी
 मन्मथ (10/3/25)
 (Case No. 2)
 REMS
 वसुधा

श्री मान अंचलाधिकारी महोदय सरिता

विषय - नोटिस मिला और उपस्थित हुवे

महोदय -

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं
 उठ प्राव विर चौंटीबाद के प्रधान सराफा अध्यापक
 मुझे नोटिस 4/3/25 को मिला था कि अंचल
 में उपस्थित होना है तो हम 7/3/2025 को अंचल
 में अंचलाधिकारी महोदय के पास उपस्थित हुए

अतः श्री मान से अनुरोध है -
 मेरा समस्या का विस्थापन किया जाए

आपका विश्वासी

मुन्नालाल मंडल
 प्रधान सराफा अध्यापक
 उठ प्राव विर चौंटीबाद

7/3/2025